

फर्द अहकाम  
शमलाल बनाम नरेन्द्र सिंह बगौठ

प्रायालय :- उपखण्ड अधिकारी फागी

क्र.सं. :- 66/2022

क्र.सं.	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
14/11/25		<p>पत्रावली पेश हुई। वकील पार्थी अनुपास्थित। वकील पार्थी को आवाज दिलाई गई। कोई उपास्थित नहीं हुए। बार-बार आवाज दिलाई गई। फिर भी कोई उपास्थित नहीं हुए। कोर्ट का समय पूर्ण हो चुका है। इसीलिए पार्थी का प्रार्थना पत्र अदम हाजरी व अदम पैरवी में वारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नं० से कम हो दाखिल दफ्तर रहे।</p>	

उपखण्ड अधिकारी  
फागी